कार्यालय : जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि० रूद्रप्रयाग

प्रमाण–पत्र सत्यापन में प्रतिभाग हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

इस कार्यालय के विज्ञप्ति सँख्या/प्रा0शि0 –नियुक्ति/412/रा0प्रा0वि0/2025–26 दिनॉक 07 नवम्बर 2025 के द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक वेतनमान 35400–112400 लेवल– 6 के 155 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी। इस कार्यालय के आदेश सँख्या/सेवायें–2/493/नियुक्ति/2025–26 दिनॉक 24 दिसम्बर 2025 के द्वारा अभ्यर्थियों के विवरण में प्रदर्शित त्रुटियों के निराकरण हेतु दिनॉक 29 दिसम्बर 2025 सायः 5 बजे तक अभिलेखीय साक्ष्य सहित प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया था। प्रत्यावेदन के निस्तारण के उपरान्त चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता अनुसार सूची विभागीय बेवसाइट पर प्रदर्शित की गयी है।

प्रदर्शित सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को दिनॉक 12 जनवरी 2026 को प्रातः 10 बजे आयोजित अभिलेख सत्यापन हेतु समस्त मूल दस्तावेज /प्रमाण–पत्र एक–एक प्रति (स्वप्रमाणित) सहित रा0इ0का0 रतूड़ा (बद्रीनाथ मार्ग रतूड़ा), जनपद– रूद्रप्रयाग में उपस्थित होना है।

1– प्रमाण–पत्र सत्यापन कार्य 11:00 बजे पूर्वाहन् प्रारम्भ हो जायेगा, जो प्रवीणता सूची के घटते क्रम में प्रारम्भ कर दी जायेगी। वरिष्ठता क्रमांक/नाम पुकारे जाने पर अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी को पुनः अवसर नहीं दिया जायेगा।

2–अपने समस्त मूल दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति का एक सेट फाइल में रखकर कवर पर अपना वरिष्ठता क्रमांक , नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर अंकित करते हुये मूल प्रमाण–पत्र के साथ सत्यापन के समय प्रस्तुत करेंगे।

3– मूल प्रमाण–पत्र सत्यापन के समय जमा कर लिये जायेंगे जो सत्यापन समाप्त होने के उपरान्त अपराहन् 05:00 बजे के बाद वापस किये जायेंगे।

4– किसी भी श्रेणी/वर्ग में रिक्ति के सापेक्ष प्रमाण–पत्र सत्यापन हो जाने के बाद उस श्रेणी /वर्ग में सत्यापन कार्य बन्द कर दिया जायेगा।अतिरिक्त अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सत्यापन कराने सम्बन्धी कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

5– एन.आई.ओ.एस. डी.एल.एड. अभ्यर्थियों को अन्य शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त उनके सेवारत होने से सम्बन्धित प्रमाणित साक्ष्य भी यथा नियुक्ति पत्र, नियुक्ति की विज्ञप्ति, प्रबन्धन/संस्था के प्रबन्धाधिकरण का अनुमोदन, वेतन विवरण, उपस्थिति, पठन–पाठन की समय सारिणी इत्यादि।) प्रस्तुत करने होंगे। एन.आई.ओ.एस. डीएल.एड. उपाधि धारक अभ्यर्थियों की नियुक्ति नितान्त रूप से उनके सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने की प्रमाणित पुष्टि के अधीन रहेगी।

6– प्रकाशित सूची में गुणांक में कोई भिन्नता हो अथवा नाम छूट गया हो तो ऐसे अभ्यर्थी सम्बन्धित समस्त अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ उक्त निर्धारित तिथि को 11:00 बजे पूर्वाहन् से पूर्व ही चयन समिति के समक्ष अपना प्रत्यावेदन/पक्ष कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों का भविष्य में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

7–पात्रता सूची के अभ्युक्ति के कॉलम में अंकित विवरण से सम्बन्धित आवश्यक पत्रजात अवश्य साथ लायें।

8– विभागीय बेवसाइट पर अपलोड सूची तथा दिनॉक 12 जनवरी 2026 को उपस्थिति को ही चयन का आधार न समझा जाय, क्योंकि चयन रिक्त पदो के सापेक्ष ही होगा।

9–प्रमाण–पत्र मिलान हेतु निर्धारित तिथि को अनुपस्थित अभ्यर्थियों का भविष्य में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

10– मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डायरी सँख्या–6244/2024 में पारित निर्णयादेश दिनॉक 21–11–2025 के क्रम में एवं अन्य मा0 न्यायालय में योजित वादों के क्रम में पद आरक्षित रखे गये हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

11–आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण–पत्र धारक अभ्यर्थियों द्वारा शासनादेशानुसार नवीनतम प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12– चयनित होने की दशा में समान पद पर पूर्व से कार्यरत न होने सम्बन्धी शपथ पत्र।

13– उत्तराखण्ड राज्य से बाहर अन्य राज्य से सम्बन्धित अभ्यर्थी , जिनका विवाह उत्तराखण्ड राज्य में हुआ हो, के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में विवाह होने से सम्बन्धित विवाह प्रमाण–पत्र का शपथ पत्र एवं स्थायी निवास आवश्यक होगा। (शासनादेश सॅख्या 254/कार्मिक–2/2002 दिनॉक 10–10–2002 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य का कोई व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में अनुमन्य आरक्षण का लाभ नहीं पा सकेगा)

14– शासनादेश सॅख्या 254/कार्मिक–2/2002 दिनॉक 10–10–2002 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य के निवासी को आरक्षण देय नहीं होगा।

15– जिन आवेदकों द्वारा पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य का पैतृक जाति प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया था, उन्हें सामान्य श्रेणी में रखा गया है। प्रमाण–पत्र सत्यापन के दिन कोई भी नया प्रमाण–पत्र (जो आवेदन पत्र के साथ पूर्व में संलग्न न हो) स्वीकार नहीं किया जायेगा।

16– मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में शामिल अभ्यर्थी अन्य प्रमाण–पत्रों के साथ–साथ मा0 न्यायालय के निर्णय की मूल प्रति भी साथ लायेंगे, जिसमें आवेदक का नाम भी हो।

वर्तमान में रिक्त पदों का विवरण

क्र० सं०	पदनाम	पदों की संख्या						दिव्यांगजन (क्षैतिज आरक्षण)			
		अ०जा०	अ०पि०व०	आ०क०व०	अ०ज०जा०	अनारक्षित	योग	1	2	3	4
1	सहायक अध्यापक प्राथमिक	26	19	13	5	69	132	0	0	3	2

बैकलॉग के रिक्त पदों का विवरणः–

पदनाम	पदों की संख्या						
	कुल रिक्त पद	SC	ST	PH			
				1	2	3	4
सहायक अध्यापक (प्राथमिक) बैकलॉग के पद	05	---	---	0	0	0	5

(अजय कुमार चौधरी)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
जनपद–रूद्रप्रयाग

पृ०सं०/प्रा०शि0–विज्ञप्ति/ 8726-31 /2025–26 दिनांक : 10 जनवरी 2026

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.. निदेशक प्रा0शि0 उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा,देहरादून।
2–अपर निदेशक, प्रा0शि0 गढ़वाल पौड़ी।
3–मुख्य शिक्षा अधिकारी, रूद्रप्रयाग/अध्यक्ष चयन समिति।
4–वित्त अधिकारी प्रा0शि0 रूद्रप्रयाग।
5–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, रूद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को सूची के साथ जनपदीय बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करेंगे।
6–एम0आई0एस0 प्रभारी विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड,ननूरखेड़ा,देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को सूची के साथ विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करेंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
जनपद–रूद्रप्रयाग